संलग्नक - 5

संख्या :–4096–38–3–2001–500(15)/2001

प्रेषक,

अजित सेठ
प्रमुख सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनु0–3 लखनऊ : दिनांक 20 सितम्बर,2001

विषय : विधायक निधि के मार्ग–दर्शी सिद्वान्त के प्रस्तर 3.9 में संशोधन विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने सम्यक विचारोपरान्त विधायक निधि के मार्ग–दर्शी सिद्वान्त के प्रस्तर 3.9 एवं उसके तीनों उप प्रस्तरों के स्थान पर निम्न प्रस्तर प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया है। तदनुसार उक्त प्रस्तर 3.9 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाय।

प्रस्तर 3.9– ''माननीय विधान सभा/ विधान परिषद सदस्य के किसी भी कारण परिवर्तित होने या उनके स्थान रिक्त होने की स्थिति में या संविधान के अनुसार विधान सभा की अवधि अवशेष होते हुए भी त्याग पत्र देने की स्थिति में पूर्ववर्ती माननीय विधान सभा/ विधान परिषद सदस्य द्वारा अभिज्ञापित यदि कोई कार्य निर्माणाधीन है तो उसे तो पूरा किया जाएगा किन्तु कोई भी नया कार्य आरम्भ नहीं किया जाएगा और नये कार्यो के सापेक्ष कोई धनराशि किसी भी दशा में अवमुक्त नहीं की जाएगी चाहे उन्होने अपना प्रस्ताव रिक्त होने के पूर्व ही सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध करा दियाहो और चाहे सक्षम प्राधिकारी ने उसे स्वीकार भी कर लिया हो''।

मार्ग–दर्शी सिद्वान्त तथा समय–समय पर जारी शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेगें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय,

(अजित सेठ)
प्रमुख सचिव

सं0 (1) 38–3–2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य, उ0 प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0 प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त, उ0 प्र0 शासन।
5. विधान मण्डल के दोनों के माननीय सदस्यगण।
6. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9. मा0 मंत्री जी/ मा0 राज्यमंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन के सूचनार्थ उनके निजी सचिव को।
10. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
11. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।
12. उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमेन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव